

खंड -1
ई निविदा आमंत्रण सूचना

मध्य प्रदेश शासन

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमण्डल रीवा, मध्यप्रदेश

ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 5711 / ई-टेंडरिंग / 2026-27 दिनांक 24/04/2026


1- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सा0 रीवा द्वारा म.प्र. भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित 2022) के अंतर्गत निम्नलिखित ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रमांक	सामग्री का विवरण	सत्यांकर निधि	निविदा दस्तावेजों का मूल्य
1	PRE STRESSED REINFORCED CEMENT CONCRETE FANCING POLE SIZE 100X100MM OF 2mtr. Length	निविदा दस्तावेज	शर्त अनुसार
2	GALVANIZED STEEL BARBED WIRE - Line Wire - Galvanised steel wire of 2.5 mm diameter Point Wire - Galvanised steel wire of 2.5 mm diameter Barbs - Distance between two barbs 75mm, the barbs shall have four points and shall be formed by twisting two point wire each two turns, tightly around both the line wire making altogether four complete turns. Standard - Conforming to ISO - 9001:2015 with up to date amendments.	निविदा दस्तावेज	शर्त अनुसार
3	GALVANIZE STEEL CHAIN LINK FENCE FABRIC - Size 100X100 MM, 4 MM Dia Mesh Wire & Width 1.5 M Conforming to IS 2721 - 2003 upto date amendments.	निविदा दस्तावेज	शर्त अनुसार

नोट:- उपरोक्त सामग्री लोडिंग/अनलोडिंग सहित एवं स्थल तक पहुंचाकर प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

- निविदा दस्तावेज से संबंधित सभी विवरण ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निःशुल्क देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं।
- इच्छुक निविदाकार क्रेडिट/डेबिट/कैश कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का ऑनलाईन भुगतान करने के बाद निविदा दस्तावेज को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर दिनांक 24-4-26 समय 5:00 बजे से दिनांक 01-04-26 समय 03:00 बजे तक केवल ऑनलाईन खरीद सकते हैं।
- निविदा पूर्व बैठक दिनांक समय..... को वनमण्डल कार्यालय रीवा में आयोजित की जायेगी। जिसमें इच्छुक निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि स्वयं भाग ले सकते हैं। निविदा पूर्व बैठक में केवल वे ही भाग लेने के हकदार होंगे जिन्होंने ई-टेण्डर फार्म खरीदे हैं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर महत्वपूर्ण तिथियों के रूप में उल्लिखित निविदा प्रक्रिया तिथियां लागू होगी।
- ई-निविदा आमंत्रण सूचना में शुद्धिपत्र/परिषिष्ट, यदि कोई हो केवल पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा, समाचार पत्रों पर नहीं।
- ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल :

<https://mptenders.gov.in>


वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल सा0 रीवा

खंड -II

निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)

अ. महत्वपूर्ण तिथियां/सामान्य जानकारी

क्र०	जानकारी	विवरण
01.	संक्षिप्त विवरण	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा (म०प्र०) अंतर्गत क्षेत्र सुरक्षा हेतु फेंसिंग सामग्री क्रय करने हेतु दरों की निविदा।
02.	ई-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	
03.	निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज की लागत	1000/-प्रोसेसिंग शुल्क (पोर्टल द्वारा स्वचलित रूप से निर्धारित)
04.	सत्यांकर निधि	150000/- (एक लाख पचास हजार रु.) मात्र
05	निविदा प्रस्ताव की वैधता	इस वित्तीय वर्ष के भीतर जिसमें वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा (म०प्र०) द्वारा निविदा आमंत्रित की गई है एवं आगामी निविदा पूर्ण होने तक यही दरें मान्य होंगी।
06	निष्पादन सुरक्षा	150000/- (एक लाख पचास हजार रु.) मात्र
07	अनुमानित निविदा मूल्य	5000000/- (पचास लाख रु.) मात्र
08	निविदा जमा करने की (अंतिम तिथि)	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
09	प्राप्त तकनीकी प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
10	प्राप्त वित्तीय प्रस्तावों को खोलने का समय और तिथि	(पोर्टल पर शेड्यूल देखें)
11	जमा करने का प्रकार	ऑनलाईन जमा https://mptenders.gov.in पर करें।

1. निविदा की स्वीकृत दरों की वैधता सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा के सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है। वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा के बीच आपसी सहमति के अधीन 90 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है।
2. निविदा में उल्लेखित की गई वस्तुओं की संभावित मात्रा सफल निविदाकार और वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा के बीच आपसी सहमति के अधीन बढ़ाई जा सकती है।
3. वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा (निविदाकर्ता) किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है। निविदाकर्ता कोई भी स्पष्ट या निहित प्रतिवद्धता नहीं करता है कि इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप किसी के साथ कोई व्यापारिक लेनदेन होगा। यह अनुरोध के लिये प्रस्ताव निविदाकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस प्रक्रिया में निविदाकर्ता, निविदाकार की भागीदारी के परिणामस्वरूप, निविदाकार से और जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकता है। हालाँकि, निविदाकर्ता किसी भी समय बिना कोई कारण बताए इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है
4. निविदाकार के पास भारतीय मानक ब्यूरो IS 2721:2003 के निर्धारित मापदण्ड अनुसार बी.एस.आई. प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। इस संबंध में निविदाकार यदि स्वयं सामग्री निर्माता है, तो स्वयं की फर्म का सबधित बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है और यदि निविदाकार किसी अन्य फर्म के माध्यम से सामग्री क्रय कर रहा है, तो उक्त फर्म का सबधित बी.आई.एस. प्रमाण-पत्र एवं फर्म द्वारा 2025-26 में वन मण्डल, अधिकारी रीवा को सामग्री प्रदाय करने के लिये एक अण्डर-टेकिंग (अनुलग्नक-4) अनुसार प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य है। यहां यह ध्यान रखा जावे कि प्रमाण-पत्र संलग्न अनुलग्नक-4 अनुसार ही होना चाहिये, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई शब्द या भाषा परिवर्तन नहीं होना चाहिये।

निविदाकार द्वारा निविदा में दर्शित स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रदाय की जाने वाली सामग्री (चौनलिक जाली) जब भी भेजी जावेगी, तो वह सामग्री निविदा स्पेसिफिकेशन अनुसार IS 2721:2003 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सामग्री के प्रत्येक रोल पर स्पेसिफिकेशन के साथ मेटल मार्किंग – प्रत्येक रोल पर निम्नलिखित जानकारी अंकित मेटल (धातु) का लेबल लगा होना चाहिये:-

1. निर्माता का नाम एवं ट्रेड-मार्क
2. लॉट नम्बर और रोल नम्बर
3. लाईन और मेश वायर का मेश आकार और व्यास
6. निविदा खोलने के पूर्व वन मण्डल कार्यालय रीवा में दिनांकX..... को समय.....X..... सेX..... तक प्री-बिड मीटिंग का आयोजन सामग्री की गुणवत्ता व प्रदाय क्षमता के सम्बन्ध में ऑनलाईन/ऑफलाईन आयोजित की गई है, जिसमें निविदाकार द्वारा निविदा के स्पेसिफिकेशन अनुसार सामग्री का नमूना (सैम्पल) प्री-बिड मीटिंग के दौरान समय.....X..... तक ही जमा किया जाना होगा। प्री-बिड मीटिंग पश्चात जमा किया गया सैम्पल मान्य नहीं होगा। निविदाकार को प्री-बिड मीटिंग के दौरान यह भी अवगत कराना होगा कि किन-किन संस्थाओं से सामग्री प्रदाय की जावेगी। यदि निविदाकार प्री-बिड मीटिंग में उपस्थित होने हेतु सक्षम नहीं है, तो उनकी ओर से उक्त कार्य हेतु निविदाकार द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति की उपस्थिति को मान्य किया जावेगा, परन्तु उक्त व्यक्ति को निविदाकार की ओर से हस्ताक्षर किये गये अधिकार-पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, साथ ही निविदाकार या निविदाकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति निविदा की प्री-बिड मीटिंग में उपस्थित नहीं होता है या सामग्री का सैम्पल नहीं जमा करता है, तो उसे निविदा से बाहर माना जावेगा। प्री-बिड मीटिंग पश्चात सभी सैम्पलों को NABL अधिकृत शासकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज दिया जावेगा। परीक्षण का शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। प्री-बिड मीटिंग के समय आये हुये निविदाकार/ प्रतिनिधियों के समक्ष प्री-बिड मीटिंग तक आये सैम्पलों की सूची बनाई जावेगी, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि प्री-बिड मीटिंग के पश्चात कोई भी सैम्पल स्वीकार नहीं किया गया है।
7. प्री-बिड मीटिंग के पश्चात निविदाकार द्वारा प्रदाय किये गये सामग्री के सैम्पल का परीक्षण वन मंडल कार्यालय रीवा में गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जावेगा। समिति द्वारा परीक्षण उपरान्त सामग्री का सैम्पल उपयुक्त पाये जाने के पश्चात आवश्यकतानुसार सैम्पल को NABL अधिकृत शासकीय प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेज दिया जावेगा। परीक्षण का शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा। सामग्री का सैम्पल परीक्षण में उपयुक्त नहीं पाये जाने के फलस्वरूप निविदाकार को तकनीकी निविदा में असफल माना जावेगा।
8. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे रीवा वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
9. स्थल निरीक्षण उपरांत उप मण्डल अधिकारी एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा सत्यापन कर निविदा के साथ अपलोड करें।
10. प्रति निविदाकार एक निविदा:
- 4.1 निविदाकार एक व्यक्तिगत इकाई या संयुक्त उद्यम हो सकता है। संयुक्त उद्यम की आवश्यकता अनुलग्नक 6 में दी गई है।
- 4.2 कोई भी निविदाकार संयुक्त रूप से या अलग-अलग एक से अधिक निविदायें प्रस्तुत करने का हकदार नहीं होगा। यदि वह ऐसा करता है, तो निविदाकार द्वारा भाग ली गई सभी निविदायें अयोग्य मानी जाएंगी।
11. निविदाकार को अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी खर्च वहन करना होगा, और इसके लिए सरकार पर कोई भी दावा नहीं किया जाएगा।
12. निविदाकार को सलाह दी जाती है कि वह कार्य/अपूर्ति स्थल और उसके आस-पास का दौरा करें और निरीक्षण करें तथा निविदा तैयार करने और अनुबंध में प्रवेश करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी अपनी जिम्मेदारी पर प्राप्त करें। इस संबंध में सभी खर्च निविदाकार को वहन करना होगा।

(ब) निविदा दस्तावेज

13. निविदाकारों को अपनी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-

i) जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाणपत्र।

ii) पैन कार्ड।

iii) पिछले 3 वित्तीय वर्षों के आयकर रिटर्न।

iv) 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पूरा अनुलग्नक-1

v) पूरा अनुलग्नक -2

vi) पूरा अनुलग्नक -3

vii) सीए प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण पत्र।

viii) दुकानें और प्रतिष्ठान पंजीकरण।

ix) एम.एस.ई प्रमाणपत्र यदि ई.एम.डी. छूट मांगी गई है

x) 'स्टार्टअप इंडिया प्रमाणपत्र' यदि वार्षिक औसत टर्नओवर या/और पिछले अनुभव से छूट मांगी गई है
(अनुलग्नक 4-खंड (i) और (ii))

14. निविदाकार से निविदा दस्तावेज के सभी निर्देशों और शर्तों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा न करने पर निविदाकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

9. सत्यांकार निधि (ईएमडी)

9.1 सत्यांकार निधि की गणना मध्य प्रदेश भण्डार कय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के नियम 14 के अनुरूप की जानी है।

9.2 सत्यांकार निधि, निविदा शुल्क/निविदा दस्तावेज का मूल्य और प्रसंस्करण शुल्क ई-खरीद पोर्टल पर ऑनलाइन जमा किया जाएगा। ऑफलाइन जमा करना मान्य नहीं होगा। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.1 के अनुसार)

9.3 सफल सत्यांकार निधि जमा करने की रसीद की स्कैन की गई प्रति निविदा के साथ शामिल की जानी चाहिए।

9.4 असफल निविदाकारों की सत्यांकार निधि यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। (उपर्युक्त नियमों के खंड 14.2 के अनुसार)

9.5 सत्यांकार निधि जब्त की जा सकती है।

9.5.1 यदि निविदाकार, निविदा वैधता अवधि या इसकी विस्तारित अवधि, यदि कोई हो, के दौरान अपनी निविदा वापस ले लेता है या उद्धृत मूल्य में वृद्धि करता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान, यदि निविदाकार जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता है जिससे निविदा के मूल्यांकन और निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में जोखिम या अनावश्यक रूप से देरी हो।

या

अफल निविदाकार के मामले में, यदि निविदाकार, निविदाकर्ता द्वारा कार्य आदेश जारी करने के 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुरक्षा राशि जमा करने में विफल रहता है।

या

निविदा प्रक्रिया के दौरान यदि निविदा में कोई जानकारी गलत/हेरफेर/छिपी हुई पाई जाती है।

- 9.6 सत्यांकार निधि जम्मा करने और निविदा को अस्वीकार करने के संबंध में निविदाकर्ता का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
10. संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से तीन-कवर प्रणाली में ऑनलाइन होगी। इस निविदा सूचना के संबंध में सभी अधिसूचनाएं और विस्तृत नियम एवं शर्तें वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएंगी।
11. निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और निविदाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत करने तथा निविदा खोलने की प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश पोर्टल से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
12. पूर्व-योग्यता मापदंड अनुलग्नक 4 में दिए गए हैं। निविदाकारों को अपने पूर्व-योग्यता, तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों पर आवश्यक जानकारी केवल संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। प्रारूप में कोई भी विचलन निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी बना सकता है। पूर्व-योग्यता या तकनीकी लिफाफे में निविदा की वाणिज्यिक जानकारी का खुलासा निविदा को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त आधार होगा।
13. तकनीकी निविदा पोर्टल पर ऑनलाइन खोली जाएंगी।
14. वाणिज्यिक निविदा के अलावा निविदा के किसी भी भाग में निविदा की कीमतों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
15. निविदाकार को वाणिज्यिक निविदा ऑनलाइन अपलोड करनी चाहिए और पोर्टल पर दिए गए बिल की मात्रा (बी.ओ.क्यू.) के अनुसार अपलोड करनी चाहिए।
16. निविदा मूल्य में लोडिंग, परिवहन, अनलोडिंग और स्टैकिंग (यदि आवश्यक हो) में शामिल लागत शामिल होगी। निविदाकार वनमण्डलाधिकारी सा10 वनमण्डल रीवा द्वारा निर्देशित किसी भी स्थान पर सामग्री के परिवहन के लिए उत्तरदायी होंगे, जो कि वनमण्डल रीवा की भौगोलिक सीमा तक होगा। निविदा मूल्य में जीएसटी, अन्य सभी कर और शुल्क शामिल होंगे और यह भारतीय रुपये में होगा।
17. सभी संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे रीवा वनमण्डल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का दौरा करें और कार्य स्थितियों से खुद को परिचित करें। इस संबंध में एक प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-3) निविदाकार द्वारा भरा जाना चाहिए। पूरा प्रमाण पत्र निविदा दस्तावेजों के साथ अपलोड किया जाना चाहिए।
18. निविदाकार द्वारा अनुलग्नक 1 में उल्लेखित प्रारूप के अनुसार एक स्व-घोषणा-‘काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र’ निविदा दस्तावेजों के मात्र 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(स) निविदा खोलना और उसका मूल्यांकन

9. निविदाकर्ता किसी भी या सभी निविदाओं को परियोजना के सर्वोत्तम हित में समझे जाने वाले विचारों के आधार पर बिना किसी कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
20. निविदाकर्ता, प्राप्त तकनीकी और वाणिज्यिक निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक निविदा मूल्यांकन समिति (TEC) नियुक्त करेगा। निविदा मूल्यांकन समिति, निविदाओं की जांच करके यह निर्धारित करेगी कि वे पूर्ण एवं उत्तरदायी हैं और निविदा प्रारूप RFP आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं। निविदाकर्ता, निविदा में किसी भी अनौपचारिकता या गैर-अनुरूपता को माफ कर सकता है जो निविदाकर्ता के अनुसार भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है।
- (गैर-भौतिक विचलन छोटी-मोटी त्रुटियों या चूक को संदर्भित करता है जो निविदा की मुख्य आवश्यकताओं या मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित नहीं करती हैं, जैसे कि छोटी-मोटी लिपिकीय त्रुटियों या प्रारूपण संबंधी मुद्दे)
21. निविदाकर्ता केवल तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय निविदाएँ खोलेगा।
22. यदि कोई फर्म शून्य शल्क/प्रतिफल उद्धृत करती है, तो निविदा को अनुत्तरदायी माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि समिति/सामाजिक वागिकी वृत्त रीवा की राय में, निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत प्रतिफल या तो बहुत कम या बहुत अधिक है, तो उसे भी अस्वीकार किया जा सकता है।
23. यदि दो या अधिक निविदाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रस्ताव एक समान पाये जाते हैं, तो लॉटरी के माध्यम से निर्णय किया जाएगा।
24. कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।
25. अंकगणितीय त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर ठीक किया जाएगा। यदि इकाई मूल्य और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करके प्राप्त की जाती है, तो इकाई मूल्य मान्य होगा और कुल मूल्य को सही किया जाएगा। यदि शब्दों और आंकड़ों के बीच कोई विसंगति है, तो शब्दों में राशि मान्य होगी।
26. निविदाकर्ता किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने और अनुबंध करने से पहले किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों के प्रति निविदाकर्ता का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा तथा निविदाकर्ता की कार्यवाही के कारणों के बारे में प्रभावित निविदाकार या निविदाकारों को सूचित करने का कोई दायित्व नहीं होगा।

(द) अनुबंध का पुरस्कार

27. सबसे कम दर उद्धृत करने वाली फर्म को निविदा दी जाएगी। यदि ऐसा होता है कि विभिन्न सामग्रियों के लिए प्राप्त न्यूनतम दरें अलग-अलग फर्मों से हैं, तो कार्य आदेश उन संबंधित फर्मों को जारी किए जाएंगे, जिनकी उक्त उक्तुओं के लिए कमशः सबसे कम दरे हैं।
28. नियोजित सफल निविदाकारों को 'स्वीकृति पत्र' (एलओए) (अनुलग्नक 5) जारी करके सूचित करेगा कि उसकी निविदा स्वीकार कर ली गई है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सफल निविदाकार को पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करती होगी।
29. अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, जिस निविदाकार को स्वीकृति पत्र जारी किया तथा है, उसे इस निविदा के लिए सुरक्षा जमा के रूप में अनुभाग-॥ "महत्वपूर्ण तिथियों/सामान्य जानकारी" पृष्ठ के क्रमांक 6 में निर्दिष्ट राशि जमा करनी होगी। निष्पादन सुरक्षा क्रियाशील शाखा वाले अनुसूचित बैंक (सहकारी बैंकों को छोड़कर) से सावधि जमा राशि (एफडीआर) या बैंक गारंटी के रूप में वनमण्डलाधिकारी सा० वनमण्डल रीवा के पक्ष में जमा की जा सकेगी। सावधि जमा रसीद (एफडीआर) या बैंक गारंटी की वैधता अनुबंध की संपूर्ण अवधि से माह अधिक अवधि के लिए होगी। यदि धारा 2 के पैरा 1 के अनुसार निविदा प्रस्ताव की वैधता कुछ अवधि के लिए बढ़ाई जाती है, तो नई निष्पादन सुरक्षा जमा राशि जमा करनी होगी। हालांकि, यदि मून निष्पादन सुरक्षा जमा वैधता की अवधि आवश्यक निर्दिष्ट तिथि के लिए वैध है, तो उसे जारी रखा जा सकता है।

निष्पादन सुरक्षा यह संतुष्ट होने पर वापस कर दी जाएगी कि अनुबंध के तहत निविदाकार के द्वारा दायित्वों का उचित निष्पादन किया गया है। हालांकि विभाग द्वारा निष्पादन सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

निष्पादन सुरक्षा राशि की गणना मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम और सेवा उपार्जन नियम, 2015 (संशोधित-2022) के अनुरूप की जाएगी।

30. इस अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में या इस अनुबंध के अनुसार लागू किसी भी दंड की वसूली के लिए निविदाकर्ता को सफल निविदाकार को नोटिस दिए बिना, निष्पादन सुरक्षा की आय को पूरी तरह या आंशिक रूप से लागू करने और विनियोजित करने का अधिकार होगा। संदेह से बचने के लिए, पक्ष स्पष्ट रूप से सहमत है कि निष्पादन सुरक्षा में शामिल किसी भी राशि के विनियोजन की आवश्यकता वाले किसी भी चूक की स्थिति में, निविदाकर्ता सफल निविदाकार की देय किसी भी बाद के भुगतान से कटौती कर सकता है, जैसे कि वह इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन सुरक्षा को विनियोजित कर रहा हो। निष्पादन सुरक्षा को लागू करने के कारणों में नीचे दी गई शर्त शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:-
1. निविदाकार सामग्री देने में सक्षम नहीं है या निविदाकार ने ऐसी सामग्री प्रदाय की है जो ममिति। सामाजिक वानिकी वृत्त रीवा की राय में आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरा नहीं करती है और इसलिए निरीक्षण के दौरान उसे अस्वीकार कर दिया गया है।
2. निविदाकार या उसका कर्मचारी निविदाकर्ता के साथ अपने जुड़ाव के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल है।
3. यदि निविदाकार नगातार तीन बार, निविदाकर्ता या उनके प्रतिनिधि द्वारा उठाई गई आवश्यकताओं के प्रति गैर- उत्तरदायी है।
4. निविदाकार समय पर बकाया राशि का भुगतान नहीं करता है।

31. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर

- 31.1 सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा और अतिरिक्त निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करनी होगी और स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध समझौते का प्रारूप अनुलग्नक 7 में दिया गया है।
- 31.2 अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर को सामग्री की आपूर्ति शुरू होने की सूचना के रूप में माना जाएगा। काम शुरू करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को आम तौर पर कोई अलग आपूर्ति आदेश जारी नहीं किया जाएगा।
- 31.3 सफल निविदाकार द्वारा निष्पादन सुरक्षा, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने या अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने की स्थिति में, निविदाकार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निविदाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाने बिना उसकी सत्यांकार की राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी।
32. निविदाकर्ता, इस अनुबंध और लागू कानून के तहत किसी भी अन्य उपाय के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, सफल निविदाकार को चूक का कारण बताते हुए 30 दिनों का लिखित नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और जैसा वह उचित समझे, अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है और निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है।
33. अनुबंध भारत में प्रचलित और लागू कानूनों द्वारा निर्धारित कानूनों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित होगा, ऐसे वाणिज्यिक लेनदेन/प्रसंस्करण के संबंध में समय-समय पर लागू कानून और अधिनियम के ढांचे के भीतर। सभी कानूनी विवाद केवल मध्य प्रदेश के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

ई. अन्य नियम और शर्तें

34. ब्लैक स्टोन, कश्ड एग्रीगेट और रेत की आपूर्ति के संबंध में, सफल निविदाकार को प्रत्येक बिल/चालान के साथ रॉयल्टी रसीद प्रदान करनी होगी।
35. जहाँ भी लागू हो, सामग्री में शून्यता (Voids) की कटौती की जाएगी।
36. इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पादों में, निविदाकार OEM या OEM अधिकृत डीलर या आपूर्तिकर्ता होना चाहिए और उसी का प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
37. निविदाकर्ता या उसके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी नमूना यादृच्छक रूप से चुन सकता है और उसे प्रयोगशाला में परीक्षण करवा सकता है। सामग्री का परीक्षण NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा और परीक्षण शुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। यदि सामग्री की गुणवत्ता घटिया पाई जाती है, तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, निष्पादन सुरक्षा जप्त की जा सकती है और आपूर्तिकर्ता को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
38. निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है यदि वे निविदा दस्तावेज, नियम और शर्तों और शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में मांगे गए किसी भी प्रमाण पत्र/दस्तावेज को अपलोड नहीं करते हैं।
- 39.1 यदि निविदा की वैधता अवधि के भीतर यह पाया जाता है कि निविदाकार द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किए गए दस्तावेजों में से कोई या कुछ झूठे या धोखाधड़ी वाले हैं, तो निविदाकार का प्रस्ताव अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे मामले में निविदाकार का समझौता रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त की जा सकती है।

उपजाऊ मिट्टी, जैविक खाद, गोबर की खाद, रेत और मूरम आदि जैसी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में, सामग्री को वैध स्रोत से खरीदा जाना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए निविदाकर्ता की ओर से अधिकृत अधिकारी निविदाकार से इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। यदि निविदाकार ऐसा करने में विफल रहता है, तो आपूर्ति की गई सामग्री का हिसाब नहीं दिया जाएगा और इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

- 39.3 यदि सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय में शुरू/पूरी नहीं की जाती है, तो निविदाकार का अनुबंध रद्द किया जा सकता है, जिसके बाद निविदाकार की सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी। यदि कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी सामग्री की आपूर्ति अधूरी रहती है, तो निविदाकर्ता को अन्य स्रोतों से सामग्री का शेष भाग खरीदने की स्वतंत्रता होगी और इसमें व्यय की गई अतिरिक्त राशि, यदि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से कम है, तो उसमें से समायोजित की जाएगी। यदि यह अतिरिक्त राशि सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा से अधिक है, तो सत्यांकार की राशि (ईएमडी) और निष्पादन सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी।
- 39.4 निविदाकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की मात्रा निविदा दस्तावेज में उल्लेखित मात्रा के अनुसार अधिक या कम दोनों तरफ भिन्न हो सकती है। निविदाकार निविदाकर्ता की बदलती आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने के लिए बाध्य होगा।
40. इस निविदा सूचना वा जारी किए गए कार्य आदेश में जिन प्रावधानों का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार निविदाकर्ता के पास होगा।

अनुलग्नक-1

प्रारूप: स्वघोषणा-काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र
रु. 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाता है

दिनांक:

सेवा में,

वनमण्डलाधिकारी सा0
वन मण्डल रीवा (म.प्र)

महोदय/महोदया,

दिनांक..... के निविदा संदर्भ संख्या..... के प्रत्युत्तर में,
.....के स्वामी/भागीदार/निदेशक के रूप में मैं/हम
घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म..... का रिकार्ड बेदाग है
तथा उसे किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अनिश्चित काल के
लिए या किसी विशेष अवधि के लिए भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित नहीं
किया गया है।

हम आगे घोषणा करते हैं कि वर्तमान में हमारी कंपनी/फर्म.....

निविदा प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
द्वारा भ्रष्ट और धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार के अलावा अन्य कारणों से काली सूची में नहीं डाली गई
है और न ही अयोग्य घोषित की गई है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,
मेरी/हमारी प्रतिभूति पूर्णतः जब्त कर ली जाएगी तथा निविदा, यदि कोई हो, को स्वीकार की
गई सीमा तक रद्द कर दिया जाएगा।

आपका धन्यवाद,

निविदाकार का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता:-

संगठन की मुहर:-

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक-2

प्रारूप: निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म का विवरण

1. निविदाकार/फर्म का नाम:.....

2. पिता का नाम:.....

3. स्थायी पता मकान क्रमांक

गली क्रमांक:.....

स्थान:.....

जिला:.....

पिन कोड:.....

4. कार्यालय का पता

गली क्रमांक:.....

स्थान:.....

जिला:.....

पिन कोड:.....

5. सत्यांकार राशि (ई.एम.डी.) का विवरण प्रकार: एफडीआर/ बैंक गारंटी/

संख्या दिनांक.....

राशि:.....

बैंक का नाम:.....

6. जीएसटी नंबर:.....

निविदाकार के हस्ताक्षर

घोषणा

पिता/पति.....

घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है। यदि उपरोक्त जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार रहूँगा। मैंने निविदा दस्तावेज की सभी शर्तों, नियमों और आवश्यकताओं को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने की शपथ लेता हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-3

प्रारूप: सामग्री प्रदाय क्षेत्र भ्रमण प्रमाण पत्र

मैं/हम..... जानता हूँ/जानते हैं कि सामग्री की आपूर्ति का दायरा वन मण्डल सा10 रीवा का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र होगा। मैं/हम रीवा वन मण्डल के अंदर किसी भी दिए गए स्थान पर आपूर्ति करने के लिए सहमत है।

मुझे/हमें क्षेत्र, प्रकार, स्तर, दूरी आदि के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने/हम ने काम/आपूर्ति स्थान का पूरी तरह से निरीक्षण किया है और निविदा के लिए आवेदन करने से पहले कार्यस्थलों के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट है और सभी कार्य स्थितियों को समझते हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नोट:-

1. क्षेत्र के भ्रमण के सत्यापन हेतु उक्त प्रारूप में संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी, संबंधित परिक्षेत्र सहायक अथवा संबंधित बीट प्रभारी से सदिनांक हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा कराये जाने के उपरांत ही अपलोड करें।
2. संपूर्ण क्षेत्रों में से प्रत्येक परिक्षेत्र के कम से कम 50 प्रतिषत स्थलों का भ्रमण किया जाना मान्य होगा।
3. क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के उपलब्ध न होने अथवा उनके हस्ताक्षर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में स्थल भ्रमण का जियोटेग सेल्फी फोटोग्राफ (निविदाकार/निविदाकार के प्रतिनिधि) के नाम सहित अपलोड करने पर निविदा में मान्य किये जावेगे।

सत्यापनकर्ता का विवरण एवं हस्ताक्षर

क्र.	भ्रमण किये गये स्थल का विवरण			अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पदनाम	हस्ताक्षर
	परिक्षेत्र	कक्ष क्रमांक	रकवा हे.		
1	2	3	4	5	6

निविदाकार के हस्ताक्षर

अनुलग्नक-4

पूर्व-योग्यता मापदंड

निविदाकार के पास होना चाहिए:

1. (किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार संगठन/विभाग/पीएसयू/सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी में) सफलतापूर्वक निष्पादित करने का अनुभव:

क) तीन समान कार्य जिसके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 20% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या

ख) दो समान कार्य जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है, जिनमें से प्रत्येक की लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदाकार द्वारा निविदा दी गई है।

या

ग) एक समान कार्य जिसकी कुल लागत पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान उन वस्तुओं की संभावित राशि के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है जिनके लिए निविदा दी गई है। अथवा

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वित्तीय वर्ष में वन विभाग, म.प्र. में समान मदों का कार्य निष्पादित किया गया हो जो निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के 30% के बराबर राशि से कम नहीं होना चाहिए।

ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निविदाकार का औसत वार्षिक कारोबार निविदाकार द्वारा दी गई निविदा के मदों की संभावित राशि के दोगुने से कम नहीं होना चाहिए।

संयुक्त उद्यम के मामले में, कम कारोबार वाली फर्म के कारोबार को उपर्युक्त खंड (ii) के तहत मूल्यांकन के लिए माना जाएगा। यदि निविदाकार के गठन/निगमन की तारीख तीन वर्ष से कम पुरानी है, तो गठन की तारीख के बाद पूरे हुए वित्तीय वर्षों के संबंध में औसत कारोबार को इस मापदंड के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

अनुलग्नक-5

स्वीकृति पत्र क्रमांक

क्र.....

दिनांक.....

प्रति,

मेसर्स.....

.....

(निविदाकार का नाम और पता)

विषय:- वनमण्डल सा0 रीवा अंतर्गत वनों एवं रोपित पौधों की सुरक्षा हेतु फेंसिंग सामग्री की दर हेतु निविदा।

---XOX---

प्रिय, श्री.....

उपरोक्त कार्य के लिए आपकी बोली मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से मात्रा बिल और उसमें दी गई मदवार दरों के बराबर स्वीकार कर ली गई है। सामग्री का विवरण निम्नानुसार है। -

क्र.सं	सामग्री का नाम और विवरण	खरीदी जाने वाली मात्रा	स्वीकृत दर (रुपये में)
1	2	3	4

आप इस पत्र के जारी होने की तारीख से 7 दिनों के भीतर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

क. रुपये..... (आंकड़ों में) की निष्पादन सुरक्षा/ निष्पादन गारंटी (रुपये..... केवल शब्दों में)। निष्पादन सुरक्षा किसी भी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सावधि जमा/बैंक गारंटी की रसीद के रूप में होगी जो वस्तुओं की आपूर्ति के तीन महीने बाद तक वैध होगी,..... के नाम पर प्रतिज्ञा।

ख. अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करें।

भवदीय

संयुक्त उद्यम (ज्वाइंट वेंचर)

अदि संयुक्त उद्यम की अनुमति दी जाती है तो निम्नलिखित शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए:

1. साझेदार के रूप में दो या अधिक फर्मों के संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत निविदाएँ निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करेगी:
 - क. भागीदारों में से एक को प्रमुख भागीदार के रूप में नामित किया जाएगा, और इम प्राधिकरण को सभी भागीदारों के कानूनी रूप से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित मुख्तारनामा प्रस्तुत करके प्रमाणित किया जाएगा।
 - ख. निविदा और, सफल निविदा के मामले में, समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे ताकि यह सभी भागीदारों पर कानूनी रूप में बाध्यकारी हो।
 - ग. प्रभारी भागीदार को संयुक्त उद्यम के किसी भी और सभी भागीदारों के लिए और उनकी ओर से देयताओं को वहन करने और निर्देश प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा और भुगतान सहित अनुबंध का पूरा निष्पादन विशेष रूप से प्रभारी भागीदार के साथ किया जाएगा।
 - घ. संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध के निष्पादन के लिए संयुक्त रूप में और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, और इस आशय का एक कथन ऊपर (सी) के तहत उल्लिखित प्राधिकरण में शामिल किया जाएगा, साथ ही निविदा में और अनुबंध में [सफल निविदा के मामले में]।
 - ङ. संयुक्त उद्यम समझौते में योजना और निष्पादन के संबंध में संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की भूमिका को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान संयुक्त उद्यम के सभी सदस्यों की निष्पादन में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। निविदाकर्ता की पूर्व स्वीकृति के बिना इसे बाद में बदला/संशोधित नहीं किया जाना चाहिए।
 - च. संयुक्त उद्यम समझौते को पंजीकृत किया जाना चाहिए, ताकि यह कानूनी रूप से वैध हो और सभी भागीदारों पर बाध्यकारी हो। और
 - छ. भागीदारों द्वारा किए गए संयुक्त उद्यम समझौते की एक प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
2. निविदा के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता मानदंडों के साथ निविदाकार निष्पादन को निर्धारित करने के लिए संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार के आंकड़े एक साथ जोड़े जाएंगे। सभी भागीदारों को सामूहिक रूप में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा। इस आवश्यकता का निष्पादन करने में विफलता के परिणाम स्वरूप संयुक्त उद्यम की निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
3. संयुक्त उद्यम की निष्पादन सुरक्षा साझेदार प्रमुख साझेदार/संयुक्त उद्यम के नाम पर होगी।
4. संयुक्त उद्यम की ओर से निविदा हस्ताक्षरकर्ता (यों) को अधिकृत करने वाले साझेदारों की पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करे
5. संयुक्त उद्यम के सभी साझेदारों के बीच हुए समझौते को संलग्न करें (और जो सभी साझेदारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है), जो निविदाकारों के लिए निर्देशों में दर्शाई गई आवश्यकताओं को दर्शाता है।
6. संयुक्त उद्यम में भागीदारी का विवरण नीचे दिए अनुसार प्रस्तुत करें :-

क्र	भागीदारी विवरण	फर्म "ए" (प्रमुख भागीदार)	फर्म "बी"	फर्म "सी"

अनुलग्नक-7

अनुबंध प्रपत्र

अनुबंध

यह अनुबंध, दिनांक..... को वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल रीवा (म.प्र.) (निविदाकर्ता का नाम और पता)(जिसे आगे "निविदाकर्ता कहा जाएगा) और मेसर्स.....(निविदाकर्ता का नाम और पता) जिसे आगे " निविदाकार " कहा जाएगा, के बीच दूसरे पक्ष के लिए किया गया है।

जबकि निविदाकर्ता चाहता है कि निविदाकार वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल रीवा, म.प्र. (अनुबंध का नाम और पहचान संख्या) (जिसे आगे "कार्य" कहा जाएगा) द्वारा मात्रा के दिन और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की आपूर्ति निष्पादित करे और निविदाकर्ता ने निविदाकार द्वारा मात्रा के बिल और उसमें दी गई दर के बराबर वस्तुओं की अपूर्ति के लिए बोली को स्वीकार कर लिया है।

अब यह अनुबंध इस प्रकार प्रमाणित होता है।

1. इस अनुबंध में, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अनुबंध की शर्तों में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है और उन्हें इस अनुबंध के भाग के रूप में पढ़ा और समझा जाएगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा निविदाकार को किए जाने जाने भुगतानों के विचार में, जैसा कि आगे उल्लेख किया गया है निविदाकार अनुबंध के प्रावधानों के साथ सभी पहलुओं में अनुरूपता में कार्य निष्पादित और पूरा करने के लिए निविदाकर्ता के साथ अनुबंध करता है।
3. निविदाकर्ता अनुबंध के प्रावधानों के तहत अनुबंध मुख्य या ऐसी अन्य राशि जो अनुबंध द्वारा निर्धारित समय और तरीके से देय हो सकती है, के निष्पादन और पूरा होने के विचार में निविदाकारको भुगतान करने के लिए अनुबंध करता है।
4. निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध के भाग के रूप में तैयार और समझा जाएगा अर्थात
 - i. स्वीकृति पत्र
 - ii. निविदाकारों को निर्देश
 - iii. अनुलग्नक 1 से 3
 - iv. बिल की मात्रा (BOQ) और
 - v. निविदा दस्तावेज में सूचीबद्ध कोई अन्य दस्तावेज जो अनुबंध का हिस्सा है

जिसके साध्य में पक्षकारों ने इस समझौते को लिखित रूप से पहले दिन और वर्ष में निष्पादित किया है।

सामान्य मुहर..... इस पर निम्नलिखित की उपस्थिति में लगाई गई थी।

उक्त.....द्वारा हस्ताक्षरित, मुहरबंद और परिदत्त.....की उपस्थिति में।

वनमण्डल अधिकारी
रीवा (म०प्र०)

निविदाकार के बाध्यकारी हस्ताक्षर